कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, परियोजना चिकित्सालय कासिमपुर (अलीगढ़)

परियोजना चिकित्सालय, हरदुआगंज तापीय परियोजना कासिमपुर अलीगढ में कार्य करने हेतु निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर एक वर्ष हेतु नियत मानदेय पर नियुक्ति हेतु Walk in Interview के माध्यम से चयन किये जायेंगे। संविदा पदों पर तैनाती हेतु साक्षात्कार **दिनांक 11.10.2017** को पूर्वान्ह 10:00 बजे से 14:00 बजे तक परियोजना के अति विशिष्टि अतिथि गृह, कासिमपुर अलीगढ़ में सम्पन्न होगा, तथा साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को अपने शैक्षिक योग्यता एवं अन्य आवश्यक मूल प्रपत्रों के सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

क्रम सं0	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	निर्धारित संविदा मानदेय
1.	स्टाफ नर्स	01	उ.प्र.नर्सिंग कौसिल द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में डिप्लोमा (उ0प्र0 नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत)	16,500.00 रु0 प्रतिमाह
2.	एक्स–रे तक्नीशियन	01	उ.प्र. राज्य चिकित्सा संकाय से एक्स–रे में डिप्लोमा (उ0प्र0 मेडिकल फैक्ल्टी से पंजीकृत)	11,800.00 रु0 प्रतिमाह
3.	फार्मासिस्ट	02	उ.प्र.शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी का डिप्लोमा (उ0प्र0 फार्मेसी कौंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत)	16,500.00 रु0 प्रतिमाह
4.	ड्रेसर कम फर्स्टएडर	01	जूनियर हाईस्कूल एवं एक वर्ष का मेडिकल अनुभव (उपमुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित)	6735.00 रु0 प्रतिमाह

नियम व शर्तेः–

1. अभ्यर्थी की आयु अधिकतम 40 वर्ष (शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ) होना चाहिये।
2. जनपद के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी, और ऐसे अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में अन्य जनपद के अभ्यर्थियों से रिक्तियां भरी जायेगी।
3. नियुक्ति में आरक्षण नियमानुसार देय होगा।
4. नियुक्ति उपरान्त कर्मी की ड्यूटी चिकित्सालय में सामान्य/आकस्मिकता/शिफ्ट में लगायी जायेगी। संविदा नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
5. संविदा पर नियुक्त पैरामेडिकल स्टाफ संविदा अवधि के लिये किन्हीं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं अका हकदार नहीं होगा, उसे ऐसी अवधि के लिये बोनस आदि देय नहीं होगा।
6. संविदा नियुक्ति किसी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह की संविदा रकम का भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
7. अनुबन्ध पर नियुक्ति चिकित्सक को परियोजना पर आवास (सामान्य किराये पर) रिक्त एवं उपलब्ध होने पर ही देय होंगे, परन्तु इनको आवास दिये जाने का कोई मौलिक दायित्व परियोजना का नहीं होगा एवं इस मद में इनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
8. कार्य के बिना कारण बताये अनुपस्थित होने पर प्रत्येक कार्य दिवस के लिये Pro-Rota के आधार पर संविदा राशि से काटा जायेगा।
9. इस चयन प्रकिया को (किसी भी समय बिना कारण बताये) निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त नियोजन पूर्णतः अस्थायी है एवं निश्चित अवधि पूर्ण होने पर स्वतः ही समाप्त हो जायेगा तथा इस प्रकार अस्थायी रूप से रखे गये कर्मी का नियमित सेवायोजन हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

21/09/17

उप मुख्य चिकित्साधिकारी, परियोजना चिकित्सालय
एवं संयोजक, चयन समिति परियोजना चिकित्सालय
कासिमपुर अलीगढ़